हरिभूमि
विराट भूमि
शहडोल | बुढ़ार | धनपुरी | ब्यौहारी | जयसिंहनगर | बाणसागर

जबलपुर, गुरुवार 9 जुलाई 2026
login : www.haribhoomi.com

खबर संक्षेप

बीमार पत्रकार चंदन की मदद को आगे आए डॉ. आदित्य

शहडोल। समाज के सजग प्रहरी और पत्रकार चंदन वर्मा, जो बीते कई वर्षों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उनकी मदद के लिए आदित्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने दरियादिली दिखाई है। अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. आदित्य द्विवेदी ने श्री वर्मा को ग्यारह हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि सौंपी। डॉ. द्विवेदी ने उनके संघर्षों की सराहना करते हुए कहा कि पत्रकार समाज का मजबूत स्तंभ हैं, संकट में उनके साथ खड़ा होना हमारा सामाजिक दायित्व है। उन्होंने आश्वस्त किया कि अस्पताल प्रबंधन आगे भी चंदन जी के इलाज में हरसंभव मदद के लिए सदैव तत्पर रहेगा। इस मानवीय पहल पर पत्रकार साथी ने अस्पताल प्रबंधन का आभार जताया है।

एक ही खानदान के 4 हत्यारों को उम्रकैद

शहडोल। खून के रिश्ते जब हैवानियत पर उतारू हो जाएं, तो कानून का हथौड़ा इसी तरह बजता है। जिला विशेष न्यायालय ने जैतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पैरीबहरा में हुए सनसनीखेज हत्याकांड के चार आरोपियों को भादवि की धारा 302/34 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। कोर्ट ने नरसंहार करने वाले एक ही कुनबे के चारों जल्लादों पर 3000-3000 रुपये का जुर्माना भी ठोका है। सलाखों के पीछे भेजे गए हत्यारों में जीवनलाल कुशवाहा उम्र 54 वर्ष, उसका भाई राजेन्द्र कुशवाहा उम्र 48 वर्ष और जीवनलाल के दो बेटे भूपेन्द्र कुशवाहा उम्र 24 वर्ष व रमेश कुशवाहा उम्र 34 वर्ष शामिल हैं।

चीख सुनकर दौड़ा था बेटा

घटना 16 जून 2024 की रात करीब 8:30 बजे की है। फरियादी निर्मल कुशवाहा अपने घर के बाहर बैठा था, तभी अचानक पड़ोसी शिवदयाल के घर के सामने से बचाओ-बचाओ की चीखें गूंजीं। निर्मल को समझते देर नहीं लगी कि यह उसके बेबस पिता तोषेराम कुशवाहा की आवाज है। बेटा जब बदहवास होकर मौके पर पहुंचा, तो वहां का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। गांठ बांधकर बैठे चारों आरोपी लाठी, डंडे, लोहे की पाइप और कुल्हाड़ी लेकर तोषेराम पर टूट पड़े थे। जीवनलाल कुल्हाड़ी से वार कर रहा था, तो बाकी तीन डंडे और पाइप से अधमरा कर रहे थे। बीच-बचाव करने आए बेटे निर्मल को भी आरोपियों ने धक्का देकर गिरा दिया। जब तक गांव के अन्य लोग दौड़कर आते, तब तक हत्यारों ने तोषेराम के सिर, सीने, पीठ और पैरों को लहूलुहान कर उनके फेफड़े-हड्डियां तोड़ डाली थीं। अस्पताल में इलाज के दौरान बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया।

सरकारी वकील की अचूक पैरवी- वारदात की क्रूरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने इसे जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में रखा था। जैतपुर पुलिस ने चाक-चौबंद विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की। अदालत में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कैलाश चंद पटेल ने अचूक पैरवी की कि आरोपी कानून के शिकंजे से बच नहीं सके। अभियोजन ने गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों की झड़ी लगा दी और कोर्ट से मांग की कि समाज में कड़ा संदेश देने के लिए इन अमानवीय हत्यारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। माननीय विशेष न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता और अभियोजन के तर्कों से शत-प्रतिशत सहमत होते हुए चारों दरिंदों को ताउम्र जेल की कालकोठरी में सडऩे का हुक्म सुना दिया।

आदिवासी महिला सरपंच से जिला पंचायत सीईओ ने किया अभद्र भाषा का प्रयोग

शहडोल जिला पंचायत में प्रशासनिक मर्यादा तार-तार

शहडोल। जिले की अफसरशाही इस कदर निरंकुश और बेलगाम हो चुकी है कि उसे जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों, विशेषकर समाज के वंचित तबके से आने वाली आदिवासी महिलाओं की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रहा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिवम प्रजापति पर ग्राम पंचायत बोडरी की आदिवासी महिला सरपंच श्रीमती गनेसिया बाई के साथ अपने ही दफ्तर में बेहद अपमानजनक, अशोभनीय व्यवहार करने और अभद्र भाषा का प्रयोग करने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस शर्मनाक घटना के बाद से पूरे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों में भारी आक्रोश है। पीड़ित महिला सरपंच ने सीधे भोपाल के वल्लभ भवन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र और ईमेल भेजकर दोषी आईएएस अधिकारी के खिलाफ सख्त कानूनी एवं दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है।

जिला पंचायत कार्यालय बना अखाड़ा

पीड़ित सरपंच गनेसिया बाई कोल द्वारा दी गई लिखित शिकायत के अनुसार, यह सनसनीखेज वाकया 6 जुलाई 2026 को जिला पंचायत कार्यालय शहडोल के भीतर घटित हुआ। महिला सरपंच अपने पंचायत क्षेत्र के जनहित के कार्यों के सिलसिले में अपने पति और गांव के एक अन्य ग्रामीण के साथ सीईओ शिवम प्रजापति से मिलने पहुंची थीं। आरोप है कि कक्ष के भीतर बात करने के दौरान भडक़े सीईओ ने अपनी प्रशासनिक मर्यादाओं को भूलकर महिला सरपंच के साथ अमर्यादित बर्ताव शुरू कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद चश्मदीदों के भी होश उड़ गए। चूंकि पूरी घटना जिला पंचायत के मुख्य परिसर में हुई है,

जहां चप्पे-चप्पे पर शासकीय सीसीटीवी कैमरे स्थापित हैं, इसलिए पीड़ित सरपंच ने मांग की है कि संबंधित दिन यानी 6 जुलाई के दोपहर 12 बजे के बाद की पूरी वीडियो फुटेज को तत्काल सुरक्षित और सील किया जाए। उन्हें डर है कि रसूखदार अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर इन पुख्ता साक्ष्यों को नष्ट करवा सकते हैं।

सिविल सेवा आचरण नियमों की उड़ीं धज्जियां

एक तरफ सरकार आदिवासी सशक्तिकरण और महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाकर ढिंढोरा पीट रही है, वहीं दूसरी तरफ मैदानी स्तर पर आईएएस रैंक का अधिकारी ही एक चुनी हुई महिला जनप्रतिनिधि को सरेआम बेइज्जत कर रहा है। शिकायत में साफ कहा गया है कि सीईओ शिवम प्रजापति का यह आचरण न केवल एक जनप्रतिनिधि के संवैधानिक सम्मान के विरुद्ध है, बल्कि यह शासकीय सेवा आचरण नियमों और स्थापित प्रशासनिक मर्यादा का खुला उल्लंघन है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस शिकायत की प्रतिलिपि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के साथ-साथ संभाग आयुक्त शहडोल और मध्य प्रदेश महिला आयोग को भी भेजी गई है। ईमेल के जरिए पीएमओ, सीएम हेल्पलाइन और राजभवन तक को इस घिनौने आचरण की सूचना फॉरवर्ड की जा चुकी है।

होगी आर-पार की जंग

प्रशासनिक टालमटोल की आशंका को भांपते हुए पीड़ित खेमे ने शासन को सीधे अल्टीमेटम दे दिया है। सरपंच श्रीमती गनेसिया बाई ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि इस गंभीर और संवेदनशील मामले में तय समय-सीमा के भीतर निष्पक्ष व पारदर्शी जांच कर दोषी अफसर पर कड़ी विभागीय कार्रवाई नहीं की गई, तो वे शांत नहीं बैठेंगी। वे लोकतांत्रिक और कानूनी रास्ते का रुख करते हुए माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट याचिका दायर करने के लिए विवश होंगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शहडोल प्रशासन और दोषी अधिकारी की होगी। अब देखना यह है कि आदिवासी अस्मिता की दुहाई देने वाली सरकार अपने ही एक बेलगाम आईएएस पर कार्रवाई की हिम्मत जुटा पाती है या हमेशा की तरह अफसरों को बचाने के लिए फाइलों को दबा दिया जाता है। इस घटना ने जिला मुख्यालय के गलियारों में हडक़ंप मचा दिया है।

कृषि विभाग की रस्म अदायगी, दुकानों पर छापे से हडक़ंप
अमानक खाद-बीज से बर्बाद होने वाले किसान के न्याय पर मौन!

शहडोल। खरीफ सीजन के परवान चढ़ते ही नकली और घटिया कृषि आदानों के सौदागरों पर नकेल कसने के नाम पर कृषि विभाग ने ब्यौहारी में औचक निरीक्षण की नौटंकी शुरू कर दी है। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में उडऩदस्ते ने खाद, बीज और कीटनाशकों की दुकानों पर दबिश दी। इस छापामार कार्रवाई से दुकानदारों में हडक़ंप मच गया, टीम ने स्टॉक रजिस्टर, लाइसेंस और बिल बुक खंगालने के साथ ही खाद-बीज के संदिग्ध नमूने (सैंपल) जब्त कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। अफसरों ने दुकानदारों को भारी-भरकम कानूनी धाराओं के तहत जेल भेजने की घुडक़ी भी दी है।

साहब तब तक लुट चुका होगा किसान!- सुनने और देखने में यह कार्रवाई बेहद सख्त और आक्रामक लगती है, लेकिन इसके पीछे की कड़वी हकीकत बेहद चौंकाने वाली है। कृषि विभाग के इस पूरे ढर्रे में सबसे बड़ा झोल लैब रिपोर्ट और टाइमिंग का है। अधिकारियों ने सैंपल भरकर लैब भेज दिए, जिसकी रिपोर्ट आने में हफ्तों लग जाएंगे। बड़ा सवाल यह है कि जांच रिपोर्ट आने तक जो किसान इन दुकानों से खाद-बीज खरीदकर अपने खेतों में बुवाई कर देगा और बाद में अगर वह बीज अमानक (घटिया) निकला, तो उसकी बर्बाद हो चुकी फसल और मेहनत का हर्जाना कौन देगा, इस यक्ष प्रश्न पर कृषि विभाग के जिम्मेदार अफसरों ने पूरी तरह से मौन साध रखा है।

अधिकारी बजा रहे अपनी पीठ- साफ तौर पर यह पूरी कार्रवाई महज एक कागजी रस्म अदायगी और आंकड़ों का खेल नजर आती है। विभाग को किसानों के नफा-नुकसान से कोई सरोकार नहीं है। किसान बैंकों और साहूकारों से भारी ब्याज पर कर्ज लेकर खरीफ की बोनी करता है। अगर उसे घटिया खाद या नकली बीज थमा दिया गया, तो उसकी पूरी साल भर की कमाई मिट्टी में मिल जाएगी। लैब रिपोर्ट में बीज घटिया साबित होने पर सरकार दुकानदार का लाइसेंस सस्पेंड कर देगी या उस पर केस दर्ज करा देगी, लेकिन उस ठगे गए बेबस किसान को क्या न्याय मिला? उसकी डूबी हुई रकम की भरपाई कंपनी करेगी, दुकानदार करेगा या यह गूंगा-बहरा सिस्टम करेगा, इस पर विभाग की चुप्पी ही असलियत बयां करने के लिए काफी है।

सुर्खियां बटोरने में लगे अफसर - कृषि विभाग ने किसानों से पक्का बिल लेने की अपील तो की है, लेकिन जब तक इस सड़े हुए सिस्टम में किसान को मौके पर ही सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती, तब तक ऐसी दिखावटी कार्रवाइयां सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बटोरने और अफसरों की पीठ थपथपाने से ज्यादा कुछ नहीं हैं। अब देखना यह है कि लैब से रिपोर्ट कब तक आती है और क्या वाकई किसी बड़ी मछली पर शिकंजा कसता है या मामला हमेशा की तरह ठंडे बस्ते के हवाले हो जाता है।

मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण विषय पर विश्वविद्यालय में ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित
कुलगुरु ने विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता

शहडोल। आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल के निर्देशानुसार तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय, शहडोल में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण विषय पर विश्वविद्यालय के समस्त फैकल्टी सदस्यों एवं कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय परिसर एवं नवलपुर परिसर में एक साथ किया गया, जिसमें शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

कार्यक्रम के प्रारंभ में कुलगुरु प्रो. राम शंकर ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य केवल शैक्षणिक विषय नहीं, बल्कि सामाजिक एवं मानवीय दायित्व भी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिक्षक एवं कर्मचारी को विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशील, सहयोगी एवं मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए, ताकि आवश्यकता पडऩे पर समय रहते उचित सहायता उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि स्वस्थ मानसिक वातावरण ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आधारशिला है और विश्वविद्यालय इस दिशा में निरंतर कार्य करता रहेगा।

इस अवसर पर प्रो. प्रवीण शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश में विद्यार्थियों पर बढ़ते मानसिक दबाव को देखते हुए ऐसे प्रशिक्षण अत्यंत उपयोगी हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की समस्याओं को समझते हुए सकारात्मक संवाद, परामर्श एवं प्रेरणा का वातावरण तैयार करना चाहिए, जिससे उनका आत्मविश्वास एवं मनोबल बढ़ सके। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों द्वारा विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन, भावनात्मक सहयोग, आत्महत्या की रोकथाम, समय पर परामर्श एवं संवेदनशील व्यवहार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के समस्त फैकल्टी सदस्यों एवं कर्मचारियों ने सक्रिय सहभागिता करते हुए प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त किया।

कार्यक्रम के अंत में कुलसचिव डॉ. आशीष तिवारी ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, विशेषज्ञ वक्ताओं तथा प्रशिक्षण में सहभागिता करने वाले सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए भविष्य में भी ऐसे जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता रहेगा। कार्यक्रम का सफल संचालन विश्वविद्यालय प्रशासन के समन्वय से संपन्न हुआ तथा प्रशिक्षण की समस्त आवश्यक कार्यवाही शासन के निर्देशानुसार सुनिश्चित की गई।

अवैध रेत लदे ट्रैक्टर ने युवक को रौंदा, मौके पर मौत
भड़के ग्रामीणों ने ट्रैक्टर फूंका, सड़क पर शव रख लगाया जाम

शहडोल। जिले में खाकी की सरपरस्ती और रेत माफिया की जुगलबंदी ने एक और हंसते-खेलते परिवार का चिराग बुझा दिया है। गोहपारू थाना क्षेत्र के पाथर गांव में अवैध रेत से लदे एक बेलगाम ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को बेरहमी से कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में जयसिंहनगर क्षेत्र के दरैन निवासी एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर पीछे बैठी एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जो जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जंग लड़ रही है। इस खूनी मंजर को देख ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित भीड़ ने आरोपी ट्रैक्टर में आग लगा दी और बीच सडक़ पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया।

प्रदेश सरकार के कड़े आदेश के मुताबिक, मानसून के चलते 30 जून के बाद से नदी-नालों से रेत के खनन और परिवहन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन गोहपारू इलाके में यह सरकारी आदेश सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। ग्रामीणों का खुला आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध रेत का कारोबार खुलेआम चल रहा है। पुलिस और खनिज विभाग को इसकी रत्ती-रत्ती जानकारी है, लेकिन महीने और नियमित वसूली के तगड़े खेल के कारण रक्षक ही भक्षक बने बैठे हैं। खाकी की इसी शह के कारण खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे सडक़ों पर यमदूत बनकर ट्रैक्टर दौड़ा रहे हैं।

चश्मदीदों के मुताबिक, दुर्घटना को अंजाम देने वाला अवैध रेत से भरा ट्रैक्टर ग्राम लामर के किसी यादव नामक व्यक्ति का बताया जा रहा है। वारदात के बाद ड्राइवर ट्रैक्टर छोडक़र भाग खड़ा हुआ। हादसे की खबर मिलते ही जब तक गोहपारू थाना प्रभारी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचता, तब तक पूरा इलाका पुलिस विरोधी नारों से गूंज उठा था। ग्रामीणों ने सडक़ जाम कर दोटूक मांग रखी कि जब तक ट्रैक्टर मालिक की तत्काल गिरफ्तारी नहीं होती और अवैध रेत के इस काले कारोबार पर ताला नहीं लटकता, तब तक शव नहीं उठने दिया जाएगा।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते पुलिस और प्रशासन ने इन तेज रफ्तार रेत के यमदूतों पर सख्ती की होती, तो आज एक बेकसूर की जान न जाती। इस वारदात ने प्रशासन के उन दावों की सरेआम धज्जियां उड़ा दी हैं, जिसमें वे अवैध खनन पर पूर्ण अंकुश की बात करते हैं। जनता अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि वसूलीबाज अफसरों और रेत के सौदागरों पर सीधे एफआईआर की मांग कर रही है।

23 साल की उम्र में सब इंस्पेक्टर बने रविकेश सिंह बागरी, पिता की राह पर बढ़ाया कदम, कोतवाली में हुआ सम्मान

शहडोल। जिले के लिए गर्व की बात है कि महज 23 वर्ष की आयु में रविकेश सिंह बागरी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल कर पुलिस सेवा में प्रवेश का गौरव प्राप्त किया है। शहडोल कोतवाली में आयोजित एक सादे समारोह में थाना प्रभारी राघवेंद्र तिवारी ने रविकेश को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। रविकेश सिंह बागरी, शहडोल कोतवाली में पदस्थ सब इंस्पेक्टर राकेश सिंह बागरी के पुत्र हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कान्वेंट स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय, शहडोल से बीए और एमए की पढ़ाई पूरी की। उच्च शिक्षा के साथ-साथ उन्होंने यूजीसी-नेट भी क्वालीफाई किया और उनका अंतिम लक्ष्य संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता प्राप्त करना है। इसी उद्देश्य से वे दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे।

तैयारी के दौरान जब सब इंस्पेक्टर भर्ती निकली तो, उन्होंने पहली बार परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर ली। उनकी इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया कि स्पष्ट लक्ष्य, अनुशासित अध्ययन और निरंतर मेहनत से कम उम्र में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। रविकेश की सफलता इसलिए भी विशेष मानी जा रही है क्योंकि उन्होंने अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए पुलिस सेवा को चुना है। उनके पिता राकेश सिंह बागरी अपनी मिलनसार कार्यशैली, सरल स्वभाव और बेहतर पुलिसिंग के लिए जिले में अलग पहचान रखते हैं। वर्षों की सेवा के दौरान उन्होंने जनता के बीच विश्वास कायम किया है। अब उनके पुत्र ने भी उसी राह पर कदम बढ़ाते हुए पुलिस विभाग में नई जिम्मेदारी संभालने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण पड़ाव पार किया है।

सम्मान समारोह के दौरान थाना प्रभारी राघवेंद्र तिवारी ने कहा कि रविकेश की सफलता जिले के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने विश्वास जताया कि वे ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और सेवा भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे तथा विभाग और जिले का नाम रोशन करेंगे। रविकेश सिंह बागरी की इस उपलब्धि पर परिवार, मित्रों, पुलिस विभाग के अधिकारियों और शुभचिंतकों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। सभी का मानना है कि यह उनके करियर की एक शानदार शुरुआत है और आगे वे अपने मूल लक्ष्य क्कस्ष्ट की तैयारी जारी रखते हुए नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे।

अब हर मंगलवार गांव में ही लगेगा इंसाफ का दरबार, सुस्त अमले को एसडीएम का सख्त अल्टीमेटम

शहडोल। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट-काटकर अपनी चप्पलें घिस चुके आम ग्रामीणों के लिए राहत की बड़ी खबर है। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह के मार्गदर्शन में सोहागपुर एसडीएम श्रीमती अमृता गर्ग ने सीधे सुस्त प्रशासनिक ढर्रे पर चोट की है। अब ग्रामीणों को अपनी छोटी-छोटी शिकायतों और जायज हक के लिए जिला मुख्यालय या कमिश्नर दफ्तर की दौड़ लगाने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। प्रशासन सीधे जनता के द्वार पहुंच रहा है। इसके तहत सोहागपुर अनुभाग की सभी ग्राम पंचायतों में अब प्रत्येक मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा।

पंचायत में हाजिरी अनिवार्य- एसडीएम ने साफ कर दिया है कि इस जनसुनवाई में किसी भी स्तर की बहानेबाजी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव, हल्का पटवारी, राजस्व निरीक्षक, आशा कार्यकर्ता और महिला सुपरवाइजर जैसे तमाम मैदानी अधिकारियों को तय समय पर पंचायत भवन में मुस्तैद रहना ही होगा। शिकायतें सिर्फ ठंडे बस्ते में डालने के लिए नहीं ली जाएंगी, बल्कि प्राप्त आवेदनों का यथासंभव मौके पर ही तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। ड्यूटी से नदारद रहने वाले अफसरों पर गाज गिरना तय है।

टालमटोल किया तो खैर नहीं- अक्सर देखा जाता है कि एक अदद सरकारी कागज या योजना के लाभ के लिए ग्रामीणों का समय और गाढ़ी कमाई का पैसा जिला मुख्यालय आने-जाने में ही स्वाहा हो जाता है। इस नई व्यवस्था से बिचौलियों और काम लटकाने वाले भ्रष्ट तंत्र पर सीधे लगाम लगेगी। एसडीएम ने दोटूक हिदायत दी है कि यदि किसी जटिल मामले का तत्काल निराकरण संभव नहीं है, तो संबंधित आवेदक को स्पष्ट और लिखित रूप से बताना होगा कि समस्या के समाधान में कितना समय लगेगा और फाइल कब तक क्लियर होगी। जनता को गुमराह करने की पुरानी बीमारी अब नहीं चलेगी। देखना यह है कि मैदानी अफसर इस कड़े आदेश को जमीन पर कितनी ईमानदारी से लागू करते हैं।

खबर संक्षेप

जिले में बीते 24 घंटे में 2.3 मिमी वर्षा दर्ज

उमरिया। अधीक्षक भू अभिलेख ने बताया कि बीते 24 घंटे में 2.3 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। बांधवगढ़ तहसील में 3.4 मिमी, चंदिया तहसील में 3.6 मिमी, करकेली तहसील में 5.8 मिमी, बिलासपुर तहसील में 3.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। जिले में 1 जून से लेकर 8 जुलाई तक 217.4 मिमी वर्षा रिकार्ड की गई है जिसमें बांधवगढ़ तहसील में 270.7 मिमी, मानपुर तहसील में 142.1 मिमी, पाली तहसील में 254.4 मिमी, नौरोजाबाद तहसील 248.6 मिमी, चंदिया तहसील में 161.6 मिमी, करकेली तहसील में 275.6 मिमी, बिलासपुर तहसील में 168.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। जबकि गत वर्ष इसी दिनांक तक जिले में कुल 498.2 मिमी वर्षा रिकार्ड की गई थी जिसमें बांधवगढ़ तहसील में 467.2 मिमी, मानपुर तहसील में 460.3 मिमी, पाली तहसील में 457.2 मिमी, नौरोजाबाद तहसील 448.4 मिमी, चंदिया तहसील में 613.8 मिमी, करकेली तहसील में 424.1 मिमी, बिलासपुर तहसील में 616.8 मिमी वर्षा शामिल है ।

जोहिला बांध के खुले दो गेट

उमरिया। जिले में तीन दिनों से जारी मूसलाधार आफत की बारिश ने नदियों और जलाशयों को उफान पर ला दिया है। खतरे की घंटी बजते ही बिरसिंहपुर पाली स्थित संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र (एसजीटीपीएस) के प्रबंधन ने मंगलवार को एहतियातन जोहिला बांध के छह में से दो गेट दो-दो मीटर तक ऊपर उठा दिए। गेट खुलते ही टनों पानी गगनभेदी गर्जना के साथ निचले इलाकों की ओर बढ़ चला।

प्रशासनिक अमला अलर्ट पर, दी सख्त हिदायत- बांध के गेट खुलते ही जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। जलस्तर बढऩे से निचले गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने सख्त हिदायत जारी करते हुए कहा है कि लोग नदी-नालों और जलप्रवाह वाले प्रतिबंधित क्षेत्रों से दूर रहें। लापरवाही भारी पड़ सकती है। पटवारियों, ग्राम सचिवों और पंचायत प्रतिनिधियों को चौबीसों घंटे मैदानी स्तर पर मुस्तैद रहने और पल-पल की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।

जान जोखिम में डालकर सेल्फीबाज़ी- हैरानी की बात यह है कि एक तरफ जहां प्रशासन सुरक्षा को लेकर हांफ रहा है, वहीं दूसरी तरफ मौत के इस मुहाने पर लोग तमाशबीन बनकर पहुंच रहे हैं। बांध से पानी छूटने की खबर फैलते ही उमड़ी भीड़ उफनते पानी के साथ सेल्फी लेने और वीडियो बनाने की होड़ में जुटी है। पुलिस बल और बैरिकेडिंग के बावजूद लोग प्रतिबंधित क्षेत्रों में घुसने की फिराक में दिखे। प्रशासन ने दोटूक कहा है कि खतरे के दायरे में आने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

मौसम विभाग की चेतावनी: अभी और बरसेगी आफत- मौसम विभाग के मुताबिक, अगले कुछ दिनों तक आफत की यह बारिश थमने वाली नहीं है। बांध प्रबंधन का कहना है कि यदि जलस्तर और बढ़ा, तो बाकी के चार गेट भी कभी भी खोले जा सकते हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन खतरा टला नहीं है।

कंचन खुली खदान से प्रभावित शासकीय भवनों के विस्थापन के संबंध में बैठक संपन्न

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्धारित प्राक्कलन अनुसार नवीन भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजने के दिए गए निर्देश

उमरिया। कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय की अध्यक्षता में कलेक्टर कक्ष में में कंचन खुली खदान से प्रभावित शासकीय भवनों के विस्थापन के संबंध में बैठक संपन्न हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि शासकीय परिसम्पतियों को अन्य स्थानों में पुनः स्थापित करने हेतु अपने-अपने विभागों से अनुमति प्राप्त कर निर्धारित प्राक्कलन अनुसार नवीन भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव विभागाध्यक्ष को भेजा जावे, यदि विभागाध्यक्ष से उक्त निर्माण कार्य कराया जाना संभव न हो तो एस.ई.सी.एल. के सी.एस.आर. के तहत सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्ताव कलेक्टर को प्रस्तुत करें जिसे नियमानुसार महाप्रबंधक एसईसीएल नौरोजाबाद की ओर भेजा जावेगा। बैठक में एस.ई.सी.एल. के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि घुलघुली में सर्वे कार्य चल रहा है जिसमें 15 घरों का सर्वे अभी बांकी है, जिस पर एस.ई.सी.एल. के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि तत्काल सर्वे कार्य पूर्ण करें एवं शासन के नियम, निर्देशों की प्रति प्रत्येक परिवार को उपलब्ध करावें, कार्य में पारदर्शिता का पालन करें एवं कम्पनी के तीनों विकल्पों (नवीन बसाहट, नौकरी, मुआवजा) के बारे में भी सभी ग्रामीणजनों को अवगत करावें, ताकि वे अपने भविष्य के दृष्टिगत समुचित निर्णय ले सकें। कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय ने कहा कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घुलघुली के पास कंचन खुली खदान की दगान का समय परिवर्तित किया जाए। विद्यालय में छात्रों के अध्यापन के पश्चात खदान में दगानी (विस्फोट) किया जावे। ताकि छात्रों को किसी प्रकार की हानि की संभावना न रहे। वर्षा ऋतु के दृष्टिगत एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घुलघुली से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जरहा में छात्रों के परिवहन की व्यवस्था होने तक घुलघुली में ही विद्यालय संचालित किया जावे। एस.ई.सी.एल. के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अविलम्ब परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

जिला शिक्षा अधिकारी उमरिया को निर्देशित किया गया कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घुलघुली के स्थान पर गहिराटोला में आवंटित शासकीय भूमि पर नवीन स्कूल भवन निर्माण का प्राक्कलन लोक निर्माण विभाग (भवन) उमरिया से तत्काल प्राप्त कर एस.ई.सी.एल. के सीएसआर मद के तहत निर्माण कराये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर महाप्रबंधक एसईसीएल नौरोजाबाद की ओर अविलम्ब प्रेषित किया जावे। बच्चों के भविष्य के दृष्टिगत इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जावे।

कलेक्टर श्रीमती सहाय ने एस.ई.सी.एल. के उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि कंचन खुली खदान के संबंध में प्रत्येक स्तर की जानकारी व उसके लिए निर्धारित समय की जानकारी से सभी संबंधित विभागों को अवगत करावें यथा किस ग्राम का सर्वे होना है व आगामी समय पर किस शासकीय भवन का विस्थापन किया जाना है इत्यादि समुचित जानकारी उपलब्ध कराया जावे। जिससे समय रहते संबंधित विभाग अपने भवन के विस्थापन की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें। उन्होने कहा कि जिन परियोजनाओं का कार्य अब समाप्त हो चुका है व उनकी लीज की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है फिर भी खसरे में दर्ज हैं। उन सभी का एन ओ सी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग पाली/बांधवगढ़ को उपलब्ध कराया जावे ताकि उसमें खसरा सुधार की कार्यवाही की जा सके। उन्होने कहा कि दिये गये निर्देशों का कढाई से पालन सुनिश्चित किया जावे । बैठक में विभागीय जिला प्रमुख अधिकारी भी उपस्थित रहे।

भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी ने जरूरतमंद मरीज को 5,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की

उमरिया। भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी जिला शाखा उमरिया ने मानवीय सेवा की भावना को आगे बढ़ाते हुए गंभीर बीमारी से पीड़ित एक जरूरतमंद मरीज के उपचार के लिए 5,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की। ग्राम पटौरियाखुर्द, तहसील बिलासपुर निवासी नरेश महर ने रेडक्रॉस सोसायटी को आवेदन देकर बताया था कि उनकी माता श्रीमती रत्नी बाई महर लंबे समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। उनका उपचार उमरिया, शहडोल, जबलपुर और नागपुर के विभिन्न अस्पतालों में कराया जा चुका है। चिकित्सकों ने उनके ऑपरेशन की सलाह दी है, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने तथा मजदूरी पर निर्भर रहने के कारण उपचार का खर्च उठाना संभव नहीं हो पा रहा था।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर एवं भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी जिला अध्यक्ष श्रीमती राखी सहाय के निर्देशानुसार रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा मरीज के उपचार के लिए 5,000 का सहायता चेक प्रदान किया गया। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर प्रत्यूष श्रीवास्तव , जिला सचिव राकेश शर्मा,एवं सभापति अखिलेश त्रिपाठी उपस्थित रहे। रेडक्रॉस सोसायटी ने कहा कि संस्था सदैव जरूरतमंद, असहाय एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है तथा भविष्य में भी मानव सेवा के ऐसे कार्य निरंतर जारी रखे जाएंगे।

प्रधान पुजारी एवं प्रबंध समिति के सदस्यों एवं संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न

उमरिया। मध्यप्रदेश तीर्थस्थान द्वारा प्रस्तावित पुजारी प्रशिक्षण, सेमीनार के संबंध शहडोल के जिला उमरिया में शासन संधारित मंदिर, अधिनियमित मंदिर, सार्वजनिक मंदिर, नर्मदा नदी परिक्रमा पथ पर प्रतिष्ठित आश्रम के पुजारी एवं प्रबंध समिति तथा प्रमुख मेलों एवं तीर्थो के प्रधान पुजारी एवं प्रबंध समिति के सदस्यों एवं संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कलेक्टर सभागार में धार्मिक न्यास के सीईओ डा राजेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

बैठक में बताया गया कि जिले में सगरा मंदिर उमरिया, बूढ़ी माता मंदिर ग्राम देवगवां पाली, शिव मंदिर बगिया ग्राम मनेरी नौरोजाबाद, सिध्दनाथ मंदिर ग्राम देवगवांकला नौरोजाबाद, राम जानकी मंदिर ग्राम सिंगवाड़ा नौरोजाबाद मंदिर का संधारण शासन व्दारा किया जा रहा है। उन्होने अधिकारियों से कहा कि जिले कि मंदिरों में बनाई गई समितियों में शासकीय सेवक अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। उन्होने कहा कि जिले में कितने मंदिर है, उनमें कितने शासकीय है, तथा कितने निजी है, उन्हें चिन्हांकित करने की कार्यवाही की जाए। मंदिर परिसर के आस पास रूकने वाले साधु संतो की पहचान की जाए । आर्थिक संसाधन तथा मंदिर तक आने वाले श्रध्दालुओं को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, इसकी जानकारी रखी जाए। उन्होने कहा कि धर्मस्व शाखा सभी चीजों को संकलित कर जानकारी अपनें पास रखें ।

उन्होने पुजारियों से अपेक्षा करते हुए कहा कि वे भी अपने स्तर पर श्रद्धालुओ की बैठक आयोजित करें तथा उनसे रूबरू चर्चा करते हुए मंदिर संचालन गतिविधियों, मेलों आयोजनों की चर्चा करें ताकि मंदिर परिसर में होने वाले धार्मिक कार्यक्रम बिना किसी परेशानी के संपन्न हो सके ।

बैठक में सगरा मंदिर उमरिया चंद्रप्रकाश गौतम ने मंदिर के चारो तरफ बाउण्ड्रीवाल कराने, सिध्दनाथ मंदिर के पुजारी श्री महंतराम गिरी ने मंदिर में लाईट, बाउण्ड्रीवाल की व्यवस्था किए जाने, रामजानकी मंदिर के पुजारी विजय उर्फ भोला तिवारी ने मंदिर के जीर्णोध्दार का सुझाव दिया। बैठक में अपर कलेक्टर प्रमोद कुमार सेन गुप्ता, एसडीएम मानपुर हरनीत कौर कलसी, एसडीएम पाली मीनांक्षी इंगले, डिप्टी कलेक्टर कमलेश नीरज, प्रत्युष श्रीवास्तव , समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।

सुरक्षित स्कूल बस अभियान 3.0 बच्चों की सुरक्षा पर फोकस, 5 स्कूल बसों पर चालानी कार्रवाई

कोतमा में 10 दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत

सुरक्षा मानकों में लापरवाही पर यातायात पुलिस सख्त

हरिभूमि न्यूज कोतमा। जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यातायात पुलिस ने सुरक्षित स्कूल बस अभियान 3.0 के तहत 10 दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत कर दी है। अभियान के पहले ही दिन सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले स्कूल वाहनों पर सख्त कार्रवाई करते हुए पांच बसों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक विक्रांत मुराब के निर्देशानुसार संचालित इस अभियान का उद्देश्य स्कूल वाहनों को निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप संचालित कराना, बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना तथा स्कूल प्रबंधन और वाहन संचालकों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाना है।

8 बसों की जांच, 5 पर कार्रवाई

जिला यातायात प्रभारी विनोद दुबे ने बताया कि अभियान के प्रथम दिवस बुधवार को कोतमा स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की आठ स्कूल बसों का विस्तृत निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान कई बसों में सुरक्षा संबंधी गंभीर कमियां सामने आईं। कुछ वाहनों में फायर एक्सटिंग्विशर की वैधता समाप्त हो चुकी थी, जबकि कई बसों में फर्स्ट एड बॉक्स निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध नहीं मिला। अन्य सुरक्षा संबंधी खामियां भी पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत पांच

स्कूल बसों पर चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही संबंधित स्कूल प्रबंधन को सभी कमियां तत्काल दूर करने के निर्देश दिए गए।

ब्रीथ एनालाइजर से चालकों की जांच

अभियान के दौरान सभी स्कूल बस चालकों की ब्रीथ एनालाइजर मशीन से जांच की गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी चालक शराब के नशे में वाहन संचालित नहीं कर रहा है। इसके साथ ही चालक एवं परिचालकों को विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने की समझाइश भी दी गई।

साइबर और सड़क सुरक्षा का भी दिया संदेश

यातायात पुलिस ने वाहन जांच के साथ-साथ विद्यालय के छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों, सीट बेल्ट के महत्व तथा सुरक्षित यात्रा के संबंध में जागरूक किया। वहीं सेफ क्लिक साइबर जागरूकता अभियान के तहत विद्यार्थियों को ऑनलाइन ठगी, फिशिंग लिंक, फर्जी कॉल, ओटीपी फ्रॉड तथा सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई, ताकि वे कम उम्र से ही साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रह सकें।

10 दिनों तक चलेगा अभियान

जिला यातायात पुलिस द्वारा बच्चों के हंसते हुए चेहरों के लिए सुरक्षित सफर थीम पर चलाया जा रहा यह विशेष अभियान अगले 10 दिनों तक जिले के विभिन्न स्कूलों में जारी रहेगा। अभियान के दौरान स्कूल बसों का नियमित निरीक्षण, चालकों की स्वास्थ्य एवं ब्रीथ एनालाइजर जांच, सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता का परीक्षण तथा विद्यार्थियों के लिए सड़क और साइबर सुरक्षा संबंधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यातायात पुलिस ने बताया कि अभियान शुरू होने से पहले ही जिले के सभी स्कूल वाहन संचालकों एवं प्रबंधन की बैठक आयोजित कर उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि प्रत्येक स्कूल वाहन में शासन द्वारा निर्धारित सभी सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए। पुलिस ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक करेंगे अयोध्या-काशी की यात्रा

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। जिले के 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत अयोध्या-वाराणसी (काशी) की निःशुल्क तीर्थ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा में शामिल होने के इच्छुक पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 17 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। जिला प्रशासन ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 31 जुलाई से 5 अगस्त 2026 तक अनूपपुर जिले के वरिष्ठ नागरिकों को अयोध्या एवं वाराणसी (काशी) की धार्मिक यात्रा कराई जाएगी। योजना का उद्देश्य प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानपूर्वक प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने की सुविधा उपलब्ध कराना है। यात्रा के लिए आवेदन पत्र मध्यप्रदेश धर्मस्व विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में पात्र आवेदकों का चयन कम्प्यूटरीकृत लॉटरी प्रणाली के माध्यम से निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा। योजना के प्रावधानों के अनुसार, 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे वरिष्ठ नागरिक, जो अकेले यात्रा के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें एक सहायक साथ ले जाने की अनुमति होगी। वहीं, तीन से पांच वरिष्ठ नागरिकों के समूह, जिनकी आयु 65 वर्ष या उससे अधिक हो, उन्हें भी एक सहायक साथ रखने की पात्रता रहेगी। हालांकि, यदि पति-पत्नी एक साथ यात्रा करेंगे तो उनके साथ किसी सहायक को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। जिला प्रशासन ने पात्र वरिष्ठ नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन जमा करें, ताकि यात्रा संबंधी सभी आवश्यक औपचारिकताएं समय पर पूरी की जा सकें।

2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को स्थायी छूट देने की मांग, सांसद हिमाद्री सिंह को सौंपा ज्ञापन

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। मध्यप्रदेश शिक्षक संघ जिला अनूपपुर ने वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के हितों की रक्षा को लेकर लोकसभा क्षेत्र शहडोल की सांसद हिमाद्री सिंह को ज्ञापन सौंपा है। संघ ने मांग की है कि 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता से स्थायी रूप से मुक्त किया जाए तथा उनकी सेवा, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य सेवा लाभों को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 23 अगस्त 2010 को जारी अधिसूचना और 29 मई 2026 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद देशभर के लाखों शिक्षकों में भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शिक्षक संघ का तर्क है कि किसी भी नए नियम या पात्रता मानदंड को पूर्व प्रभाव से लागू करना न्यायसंगत नहीं होगा, क्योंकि इन शिक्षकों की नियुक्तियां उस समय प्रभावी नियमों के अनुरूप की गई थीं। संघ ने सांसद से केंद्र सरकार के समक्ष विषय उठाकर आवश्यक विधायी या नीतिगत हस्तक्षेप कराने का आग्रह किया है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि वर्षों से शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देने वाले शिक्षकों के अनुभव और योगदान का सम्मान किया जाना चाहिए तथा उनके परिवारों के भविष्य को अनिश्चितता में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मध्यप्रदेश शिक्षक संघ ने अपनी प्रमुख मांगों में 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को स्थायी छूट, सेवा एवं वरिष्ठता का पूर्ण संरक्षण, आवश्यक होने पर विधायी संशोधन तथा सभी राज्यों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग शामिल की है। संघ ने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लेकर लाखों शिक्षकों के हितों की रक्षा करेगी।

विकलांग की फरियाद पर भी नहीं पिघला सिस्टम, आगजनी के आरोपियों के नाम रिपोर्ट से गायब

एसपी के बाद अब आईजी शहडोल से लगाई न्याय की गुहार

हरिभूमि न्यूज बदरा/जमुना। जिले के भालूमाड़ा थाना अंतर्गत फुनगा पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम पयारी नंबर-01 निवासी 65 वर्षीय दिव्यांग (विकलांग) ललुआ चौधरी ने न्याय की आस में अब पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) शहडोल कार्यालय का दरवाजा खटखटाया है। पीड़ति का आरोप है कि उसके घर में आग लगाने वाले नामजद आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शी गवाह और वीडियो उपलब्ध कराने के बावजूद आज तक प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। मामले में आईजी शहडोल ने पीड़ति की शिकायत सुनकर उसे शीघ्र न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। पीड़ति द्वारा आईजी को दिए गए आवेदन के अनुसार 21 जून की रात लगभग 9 बजे ग्राम पयारी नंबर-01 स्थित उसके घर पर सुरेश केवट, गोविंद केवट, सारथ केवट, जगदीश केवट,

गोपाल केवट सहित अन्य लोगों ने कथित रूप से लकड़ियों में कपड़ा बांधकर आग लगा दी। घटना में घर के भीतर रखा पंखा, गद्दा, तकिया, कुर्सी, कपड़े सहित अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया, जिससे लाखों रुपये का नुकसान होने का दावा किया गया है। आवेदन में यह भी उल्लेख है कि घटना के समय पीड़ति की पत्नी की आवाज सुनकर परिवार जागा और हल्ला मचाने पर आरोपी वहां से भाग गए। जाते-जाते आरोपियों द्वारा जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ति का कहना है कि उसके पुत्र सहित आसपास के लोगों ने पूरी घटना देखी है तथा उसके पास घटना के वीडियो और अन्य साक्ष्य भी मौजूद हैं। ललुआ चौधरी का सबसे गंभीर आरोप फुनगा पुलिस चौकी की कार्यप्रणाली पर है।

उनका कहना है कि घटना के तुरंत बाद जब वह रिपोर्ट दर्ज कराने चौकी पहुंचे तो उन्होंने आरोपियों के नाम स्पष्ट रूप से बताए, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट में उनके नाम दर्ज नहीं किए। अगले दिन जब उन्होंने इस संबंध में आपत्ति जताई तो पुलिस ने उल्टा यह कह दिया कि रिपोर्ट में किसी आरोपी का नाम नहीं लिखा गया है। पीड़ति का आरोप है कि उसकी पत्नी से बिना पढ़ाए हस्ताक्षर भी करा लिए गए और वास्तविक तथ्यों के विपरीत रिपोर्ट तैयार कर दी गई। न्याय नहीं मिलने पर पीड़ति ने अनूपपुर पुलिस अधीक्षक विक्रांत मुराब से शिकायत की। एसपी द्वारा मामले की जांच के आदेश दिए गए, लेकिन पीड़ति का कहना है कि कई दिन बीत जाने के बाद भी मामला केवल जांच तक सीमित है और किसी आरोपी के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। लगातार न्याय के लिए भटक रहे दिव्यांग ललुआ चौधरी अंततः आईजी शहडोल के समक्ष पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए निष्पक्ष जांच एवं आरोपियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की मांग की। आईजी ने उन्हें पूरे मामले में न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। अब क्षेत्र में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों और उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मामला आने के बाद भी कार्रवाई कब तक होगी। फिलहाल पीड़ति परिवार को आईजी स्तर से निष्पक्ष कार्रवाई और न्याय मिलने की उम्मीद है।

खबर संक्षेप

छात्रों को साइबर क्राइम के प्रति किया गया जागरूक

कटनी। जिले में विधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में ढ़ीमरखेड़ा स्थित संतकबीर जूनियर हाई स्कूल में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में न्यायाधीश पूर्वा तिवारी ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को साइबर क्राइम के विभिन्न स्वरूपों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन धोखाधड़ी, फेक कॉल, सोशल मीडिया दुरुपयोग एवं साइबर ठगी जैसे अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, जिनसे बचाव के लिए जागरूक रहना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने छात्रों को सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के उपाय बताते हुए कहा कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत संबंधित प्राधिकरण को दें। छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और साइबर सुरक्षा से जुड़े प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों में विधिक जागरूकता बढ़ाना एवं उन्हें डिजिटल दुनिया में सुरक्षित व्यवहार के प्रति प्रेरित करना रहा।

जिले में अब तक 152.6 मिमी औसत वर्षा दर्ज

कटनी। जिले में 1 जून से 7 जुलाई तक कुल 152.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। विदित हो कि पिछले आलोच्य अवधि के दौरान जिले में 389.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। इस अवधि के दौरान स्लीमनाबाद तहसील में रिकार्ड 557.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई थी। जबकि इस वर्ष जिले में इस अवधि के दौरान सबसे अधिक औसत वर्षा तहसील स्लीमनबाद में दर्ज की गई है, जहाँ अब तक 247.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गयी है। अधीक्षक भू-अभिलेख मुन्ना लाल तिवारी ने बताया कि जिले में इस अवधि में कटनी तहसील में 186.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। जबकि तहसील रीठी में 213.8 मिलीमीटर, बड़वारा तहसील में 51.0 मिलीमीटर, बरही तहसील में 141.8 मिलीमीटर और विजयराघवगढ़ तहसील में 133.5 मिलीमीटर, बहोरीबंद तहसील में कुल 157.7 मिलीमीटर एवं स्लीमनाबाद तहसील में 247.4 मिलीमीटर तथा ढीमरखेड़ा तहसील में 88.0 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है।

आवारा मवेशियों को पकड़ कर गौशालाओं में भेजा गया

कटनी। नगर में नागरिकों को सुरक्षित, सुगम एवं बाधारहित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगर पालिक निगम द्वारा घुमंतू गाय-बैलों को पकड़ने का विशेष अभियान निरंतर संचालित किया जा रहा है। निगम प्रशासन के निर्देशन में निगम का अमला प्रतिदिन शहर के प्रमुख मार्गों, व्यस्त चौराहों एवं सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर आवारा मवेशियों को पकड़ने की कार्रवाई कर रहा है। स्वास्थय अधिकारी संजय सोनी ने बताया कि वर्षा ऋतु के दौरान सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। अभियान के तहत विगत दिवस रबर फैक्ट्री रोड, शास्त्री कॉलोनी, आजाद चौक, मिशन चौक, हीरा गंज, बस स्टैंड मार्ग सहित नगर के अन्य स्थलों में अभियान के दौरान पकड़े गए लगभग 20 गाय-बैलों को सुरक्षित रूप से अधिकृत गौशालाओं में भेजा जा रहा है। निगम प्रशासन का उद्देश्य केवल यातायात को सुचारु बनाए रखना ही नहीं, बल्कि आमजन एवं मवेशियों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। सड़कों पर विचरण करने वाले आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की आशंका को कम करने तथा यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए यह अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा।

केन्द्रीय जेल अधीक्षक सतीश उपाध्याय ने किया सब जेल बुढ़ार का आकस्मिक निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान जेल में प्रदत्त करायी जा रही सुविधाओं पर संतोष व्यक्त किया

बुढ़ार। केन्द्रीय जेल अधीक्षक रीवा सतीश कुमार उपाध्याय ने मंगलवार को सब जेल बुढ़ार का आकस्मिक निरीक्षण कियें, और निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेल की सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता एवं शासन द्वारा बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया, वहीं वीडियो कांफ्रेंस का लोकार्पण भी किया।

बुढार सब जेल के जेलर विकास सिंह बघेल केन्द्रीय जेल अधीक्षक के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहे। केन्द्रीय जेल अधीक्षक सतीश कुमार उपाध्याय ने निरीक्षण के दौरान बंदियों को प्रदत्त करायी जा रही सुविधाओं से अवगत हुये, जिस पर उन्होंने संतोष व्यक्त किये, सब जेल बुढ़ार में सुरक्षा एवं स्वच्छता व्यवस्था नियमानुसार संचालित पर उन्होंने जेल प्रबंधन के कार्यों की सराहना भी की। सब जेल बुढार में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर एवं जेल मुख्यालय, भोपाल के निर्देशानुसार निर्मित करायें गये तीन नवीन वीडियो

कॉन्फ्रेंसिंग (वी.सी.) कक्षों का लोकार्पण भी केन्द्रीय जेल अधीक्षक द्वारा किया गया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इन नवीन कक्षों के माध्यम से बंदियों की न्यायालयीन कार्यवाही को और

अधिक सुगम एवं सुरक्षित बनाया जा सकेगा।

निरीक्षण के दौरान जेलर विकास सिंह बघेल सहित सब जेल बुढ़ार के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों की उपस्थित उल्लेखनीय रहीं।

जैतपुर क्षेत्र के विधायक जयसिंह मरावी ने सरईकापा में छुहाई तालाब सौन्दर्यीकरण कार्य का किये लोकार्पण

पंचायत क्षेत्रों में विकास कार्यों की मिल रही नित नई सौगात

बुढार। जैतपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जयसिंह मरावी ने सोहागपुर जनपद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत सरईकापा द्वारा हरदी मोड़ मुख्य मार्ग पर स्वागत द्वार के करवाये जानें वाले कार्य का भूमिपूजन तथा छुहाई तालाब के कराये गये सौन्दर्यीकरण कार्य का जनप्रतिनिधियों व पंचायत वासियों की भारी उपस्थिति में लोकार्पण किये और आयोजित कार्यक्रम को मुख्यातिथ की आसंदी से सम्बोधित किये।

जिला पंचायत निर्माण समिति सभापति जगन्नाथ शर्मा की अध्यक्षता तथा भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा उपाध्यक्ष एवं बुढार नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती शालिनी सरावगी, सोहागपुर जनपद अध्यक्ष श्रीमती मीरा कोल, खैरहा भाजपा मण्डल अध्यक्ष विपुल सिंह, सरपंच दुईजी बैगा, जनपद उपाध्यक्ष शक्ति सिंह, जिला भाजपा उपाध्यक्ष दौलत मनवानी, भाजपा नेता दीपक शर्मा, रमाशंकर कुशवाहा, समाजसेवी विद्याभूषण शुक्ला (एड.), रविकान्त, भूपेन्द्र मिश्रा के विशिष्ट आतिथ्य में भूमिपूजन व लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

5 लाख की लागत से निर्मित कराये जाने वाले स्वागत द्वार एवं 14 लाख 49 हजार की लागत से छुहाई तालाब के सुरेश कार्य का लोकार्पण उपरांत आयोजित कार्यक्रम को मुख्य अतिथि जयसिंह मरावी ने सम्बोधित करते हुये कहाकि- प्रदेश की जनहितैषी सरकार विकास कार्यों को प्रथम प्राथमिकता प्रदान कर रही है और विकास की नित नई सौगात ग्रामीण क्षेत्रों को अर्जित हो रही है।

विधायक जयसिंह मरावी ने कहाकि- पंचायत की आशाओं के अनुरूप विधायक निधि से भरपूर राशि पंचायतों में विकास हेतु उपलब्ध करायी गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर बना हुआ है।

मुख्य अतिथि विधायक श्री मरावी ने पंचायत में सामुदायिक भवन, नवीन पंचायत भवन, मुक्तिधाम तथा बाउण्ड्री बाल के निर्माण कार्य कराये जाने की मांग को सहर्ष घोषणा की जिसका करतल ध्वनि से स्वागत किया गया। जिला पंचायत निर्माण समिति अध्यक्ष जगन्नाथ शर्मा ने पंचायत क्षेत्र में विकास की मिल रही सौगात पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये पुलिया निर्माण कार्य की आवश्यकता प्रतिपादित की।

लोकार्पण एवं भूमिपूजन में पधारे सभी के प्रति आभार युवा भाजपा नेता भूपेन्द्र मिश्रा ने व्यक्त किया।

आज से होगा ग्राम सभाओं का आयोजन

कलेक्टर ने लगाई नोडल अधिकारियों की ड्यूटी

उमरिया। संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल के निर्देश के अनुक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस 2024 सर्वे अन्तर्गत प्रारूप स्थायी प्रतीक्षा सूची के अंतिमकरण एवं ग्राम सभा सत्यापन कार्यवाही पूर्ण करने हेतु पूर्व में निर्देश जारी किये गये थे। समस्त कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण होने के पश्चात सर्वे आधारित सिस्टम जनरेटेड प्रायोरिटी लिस्ट तैयार की जा सकेगी।

ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा पोस्ट डिलीशन में कार्यवाही समय-सीमा में किये जाने के निर्देश दिये गये है जिसमें डिलीशन मॉड्यूल कंप्लीशन हेतु ग्राम पंचायत (जीपी) को चिन्हित करने (मॉडयूल जनपद स्तर), डिलीशन मॉड्यूल कॉम्प्लीटेड जीपीएस की सारांश रिपोर्ट (मॉडयूल जिला स्तर पर), ग्राम सभा की कार्यवाही प्रारंभ करना (मॉडयूल-जनपद स्तर पर), प्राथमिकता प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) का पुनरीक्षण, ग्राम सभा बैठक का जियो-टैग एवं समय-मुहर (टाइमस्टैम्प) सहित फोटोग्राफ अपलोड करने, हितग्राहियों के तथ्यों/जानकारी का अद्यतन (बेनिफिशरी फैक्ट अपडेट्स), ग्राम सभा कार्यवाही प्रारूप (प्रोसीडिंग्स टेम्प्लेट) का स्वतः (ऑटो) निर्माण, डाउनलोड हस्ताक्षर एवं मुहर करना पुनः अपलोड करना, एआई (ऐ) आधारित सत्यापन (स्वतः मोड) प्राथमिकता प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) का स्वतः (ऑटो मोड) अंतिमकरण तथा अपीलीय सत्यापन (जिता स्तर) शामिल है। कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 6, मध्यप्रदेश ग्राम सभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम, 2001 तथा मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022 के प्रावधानों अनुसार उपरोक्त सरल क्रमांक 3 से 6 तक में उल्लेखित बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने हेतु 9 एवं 10 जुलाई 2026 को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाना है।कलेक्टर श्रीमती सहाय ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2.0 अन्तर्गत आवास प्लस वर्ष 2024 के सर्वे में चेकर द्वारा पात्र पाए गए हितग्राहियों का अंतिम सूची का वाचन, अनुमोदन हेतु ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा सम्पन्न कराने हेतु 9 जुलाई 2026 से 10 जुलाई 2026 तक के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी नोडल अधिकारी के रूप मे लगाई है।

खाद बीज दुकानों का हुआ औचक निरीक्षण

अमानक बीज बेचने पर होगी कड़ी कार्रवाई

ब्यौहारी- विकासखंड के अंतर्गत किसानों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकासखंड ब्यौहारी अंतर्गत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अभिषेक तिवारी द्वारा ब्यौहारी-में कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न दुकानों पर उपलब्ध उर्वरक, बीज एवं कीटनाशकों के स्टॉक, अभिलेख, लाइसेंस तथा विक्रय व्यवस्था का गहन परीक्षण किया गया। साथ ही गुणवत्ता परीक्षण हेतु विभिन्न कृषि आदानों के नमूने नियमानुसार संग्रहित कर प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजे गए।निरीक्षण के दौरान सभी विक्रेताओं को निर्देश दिए गए कि वे केवल प्रमाणित एवं मानक गुणवत्ता वाले कृषि आदानों का ही विक्रय करें, सभी अभिलेख अद्यतन रखें तथा किसानों को निर्धारित दर पर सामग्री उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। शासन के दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन करने एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचने के लिए भी निर्देशित किया गया।वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अभिषेक तिवारी ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी भी दुकान में अमानक या गुणवत्ताहीन कृषि आदानों का विक्रय, अभिलेखों में अनियमितता अथवा शासन के नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो संबंधित विक्रेता के विरुद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, बीज अधिनियम, कीटनाशक अधिनियम एवं अन्य प्रचलित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने किसानों से भी अपील की कि कृषि आदान खरीदते समय हमेशा पक्का बिल प्राप्त करें तथा किसी भी प्रकार की शिकायत या अनियमितता की जानकारी तत्काल कृषि विभाग को दें, जिससे किसानों के हितों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

ब्यौहारी में जिला स्तरीय जनगणना हस्त पुस्तिका प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

ब्यौहारी -शहडोल कार्यालय कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी, जिला-शहडोल के तत्वाधान में बुधवार को जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यशाला जिला जनगणना हस्तपुस्तिका (DCHB) - 2027 के संबंध में आयोजित की गई थी।प्रमुख अधिकारियों की रही गरिमामयी उपस्थितिप्रशिक्षण कार्यक्रम 'पीएम श्री' शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ब्यौहारी (म.प्र.) में सुबह 10:00 बजे से आयोजित किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में मुख्य रूप से शामिल रहेः सरोधन सिंह (जिला जनगणना चार्ज अधिकारी एवं अपर कलेक्टर महोदय) गिरीश शुक्ला (OIC, भोपाल)सुमित गुर्जर तहसीलदार, ब्यौहारीडॉ. योगेश चंद्र गुप्ता (जिला जनगणना ब्रांड एंबेसडर) हस्तपुस्तिका (DCHB) - 2027 पर हुआ गहन प्रशिक्षणकार्यशाला के दौरान समस्त जिला जनगणना हस्तपुस्तिका प्रभारियों को वर्ष 2027 की जनगणना हस्तपुस्तिका से जुड़े विभिन्न तकनीकी पहलुओं, डेटा संग्रहण और आगामी रूपरेखा के बारे में विस्तार से प्रशिक्षित किया गया। उपस्थित अधिकारियों ने आगामी जनगणना कार्यों को सुचारू, त्रुटिहीन और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।कार्यक्रम के अंत में सभी प्रभारियों को उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूक करते हुए कार्यशाला का सफल समापन किया गया।

जिले में टीबी जैसी बीमारी के विरुद्ध संवेदनाओं की लिखी जा रही नई मिसाल मरीजों को मिलेगा साथ

कलेक्टर स्वयं बने 'नि-क्षय मित्र', अब प्रशासन मिलकर देंगे मरीजों को पोषण

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

कभी समाज से दूरी और उपेक्षा झेलने वाली टीबी जैसी बीमारी के विरुद्ध अब कटनी में संवेदनाओं की नई मिसाल लिखी जा रही है। यहां इलाज के साथ-साथ अब मरीजों को अपनापन, पोषण और समाज का भरोसा भी मिलेगा। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कलेक्टर आशीष तिवारी की पहल ने इस जनस्वास्थ्य अभियान को केवल सरकारी योजना नहीं रहने दिया, बल्कि इसे जनसहभागिता का एक प्रेरक आंदोलन बना दिया है।

जिले को टीबी मुक्त कटनी बनाने के संकल्प के साथ कलेक्टर श्री तिवारी स्वयं 'नि-क्षय मित्र' बने हैं। उन्होंने यह संदेश दिया है कि टीबी से जूझ रहे मरीजों को केवल दवाइयों की नहीं, बल्कि पौष्टिक भोजन, सामाजिक सहयोग और मानवीय संवेदनाओं की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। उनकी इस पहल ने प्रशासनिक अधिकारियों, उद्योगपतियों और विभिन्न विभागों को भी आगे आने के लिए प्रेरित करने का काम किया है । जिसके परिणामस्वरूप जिले में सेवा और सहयोग की एक नई श्रृंखला शुरू होने जा रही है।

कलेक्टर की पहल से प्रेरित होकर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) ने 35, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने 50, आबकारी विभाग ने 35, लोक निर्माण विभाग ने 50, खनिज विभाग ने 50, उद्योग विभाग ने 50, पीआईयू ने 25, एमपीईबी ने 25, खाद्य विभाग ने 25 तथा मध्यप्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम ने 35 टीबी मरीजों को पोषणयुक्त फूड बास्केट उपलब्ध कराने की स्वैच्छिक जिम्मेदारी ली है। इसके अलावा जिले की प्रत्येक जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा प्रत्येक तहसीलदार ने भी स्वेच्छा से 20-20 मरीजों को गोद लेकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बनने का संकल्प लिया है। बीते सोमवार को हुई समय-सीमा बैठक में सभी विभागों और अधिकारियों ने स्वेच्छा से जिला क्षय अधिकारी डॉ. शैलेन्द्र दीवान को आवश्यक सहयोग राशि उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई है।

योजना के तहत प्रत्येक टीबी मरीज को प्रतिमाह 600 रुपये मूल्य की पोषणयुक्त फूड बास्केट उपलब्ध कराई जाएगी। प्रारंभिक चरण में आगामी दो माह के लिए प्रति मरीज 1,200 रुपये की सहायता सुनिश्चित की गई है, ताकि उपचार के दौरान मरीजों को आवश्यक पोषण मिलता रहे।

कलेक्टर आशीष तिवारी ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि अभियान को पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ संचालित किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि जिले का कोई भी पात्र टीबी मरीज पोषण सहायता से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि टीबी पर विजय केवल दवा से नहीं, बल्कि पौष्टिक आहार, समय पर उपचार और समाज के सहयोग से ही संभव है। यदि पूरा समाज इस अभियान से जुड़ेगा, तो टीबी मुक्त कटनी का लक्ष्य जल्द ही वास्तविकता में बदलेगा।

छात्राओं को स्वच्छता माहवारी प्रबंधन पर दी गई जानकारी

उमरिया। राष्ट्र किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आउटरीच गतिविधि के तहत किशोर स्वास्थ्य परामर्शदाता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर सुश्री पूनम मिश्रा द्वारा शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बिजौरी में भ्रमण कर उपस्थित छात्राओं को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर सत्र का आयोजन करते हुए माहवारी स्वच्छता के विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि किशोरियों को 9 से 16 के मध्य महावारी आना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है एवं यह एक बदलाव का चक्र है इससे घबराए नहीं बल्कि अपने परिवार में माता बहाने या ग्राम में साथिया बालिका से चर्चा कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । उन्होंने बताया कि सेनेटरी नैपकिन का उपयोग कर संक्रमण से बचा जा सकता है । सेनेटरी पैड का उपयोग एवं निस्तार पर चर्चा की गई। उन्होंने किशोरी बालिकाओं को प्रत्येक 3 माह में एच बी की जांच करने एवं आई एफ ए गोली का नियमित सेवन एवं आयरन युक्त पोषक पदार्थ सेवन करने पर भी चर्चा किया उक्त गतिविधि में प्राचार्य गोल साय सिंह उरैली , श्रीमती संदीप चतुर्वेदी एवं प्रियंका श्रीवास्तव एवं छात्रा में उपस्थित रहे।

खबर संक्षेप

प्रिंटिंग प्रेस के समीप शराब दुकान के पास फैली गंदगी से रहवासी परेशान

अनूपपुर। जिला मुख्यालय के वार्ड क्रमांक 5 स्थित प्रिंटिंग प्रेस के समीप शराब दुकान के आसपास फैली गंदगी से स्थानीय रहवासियों में नाराजगी है। क्षेत्र के रहवासियों द्वारा उपलब्ध कराए गए फोटो एवं जानकारी के अनुसार शराब दुकान के आसपास खाली कांच की बोतलें डिस्पोजेबल गिलास प्लास्टिक एवं अन्य कचरा नाली और सड़क किनारे जमा है। इससे नाली का प्रवाह प्रभावित हो रहा है और आसपास अस्वच्छ वातावरण बना हुआ है। रहवासियों का कहना है कि क्षेत्र में नियमित सफाई नहीं होने के कारण समस्या लगातार बढ़ रही है। बरसात के मौसम में नाली जाम रहने से जलभराव दुर्गंध और संक्रामक बीमारियों की आशंका भी बनी रहती है। उनका कहना है कि इस संबंध में कई बार जनप्रतिनिधियों एवं नगर पालिका का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हो सका है। स्थानीय रहवासियों ने नगर पालिका प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र का शीघ्र निरीक्षण कर नालियों की सफाई कराई जाए नियमित कचरा उठाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि क्षेत्रवासियों को गंदगी और दुर्गंध से राहत मिल सके।

हसदेव क्षेत्र की कॉलोनियों में बदहाल सफाई व्यवस्था, लाखों के टेंडर के बाद भी गंदगी का अंबार

राजनगर। हसदेव क्षेत्र के राजनगर आर.ओ. अंतर्गत संचालित एसईसीएल की श्रमिक कॉलोनियों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। लाखों रुपये के सफाई टेंडर होने के बावजूद कॉलोनियों में नियमित सफाई नहीं होने से कामगारों और उनके परिवारों में भारी नाराजगी है। कर्मचारियों का आरोप है कि ठेकेदार मनमाने ढंग से काम कर रहा है, जबकि सिविल विभाग निगरानी और कार्रवाई करने में पूरी तरह सुस्त नजर आ रहा है। राजनगर आरओ की ए-टाइप न्यू राजनगर कॉलोनी, बी-टाइप न्यू राजनगर कॉलोनी, कमलनगर, सुभाषनगर, प्रेमनगर, वर्कशॉप के सामने स्थित कॉलोनी तथा वार्ड क्रमांक-11 स्थित बच्चों के पार्क सहित कई श्रमिक बस्तियों में नियमित सफाई नहीं होने से जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हैं। अधिकांश नालियां जाम हैं, जिससे बरसात का पानी सड़कों और गलियों में बह रहा है। खुले में पड़ा कचरा बारिश के साथ फैलकर संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले शांतिनगर कॉलोनी के युवाओं ने उपक्षेत्रीय प्रबंधक राजनगर आरओ राजेश कुमार राय को ज्ञापन सौंपकर सफाई व्यवस्था की शिकायत की थी। शिकायत के बाद उपक्षेत्रीय प्रबंधक के निर्देश पर सिविल विभाग हरकत में आया और शांतिनगर में सफाई अभियान शुरू कराया गया। इससे यह सवाल खड़ा हो गया है। कि क्या हर कॉलोनी के कर्मचारियों को अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए अलग-अलग ज्ञापन देना पड़ेगा, तभी व्यवस्था सुधरेगी? कामगारों का कहना है कि यदि सिविल विभाग नियमित रूप से निगरानी करे और ठेकेदार से तय शर्तों के अनुसार कार्य कराए तो कॉलोनियों की यह स्थिति नहीं बने। **नगर परिषद के सफाई मित्रों से बची हुई है व्यवस्था-** नगर परिषद बनगवां (राजनगर) के स्वच्छता मित्र समय-समय पर सफाई कर स्थिति को कुछ हद तक संभाल लेते हैं। यदि उनका सहयोग भी न मिले तो कॉलोनियों और मुख्य सड़कों पर सुबह-शाम गोबर और कचरे के ढेर आम दृश्य बन जाएं। श्रमिक कॉलोनियों की पानी की टंकियों की लंबे समय से सफाई नहीं होने का आरोप लगाया जा रहा है। शांतिनगर की पानी टंकी, घरों की छतों पर लगी टंकियां, न्यू राजनगर फिल्टर प्लांट की ओवरहेड टंकी और वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट की टंकियों की नियमित सफाई नहीं होने से उनमें काई जम गई है।

दो-दो याचिकाएं खारिज, फिर बेनकाब हुई सियासत

जय प्रकाश की कानूनी जंग पर लगा विराम

जिले की नगर परिषद जैतहरी की राजनीति में लंबे समय से चल रहे विवाद को उस समय नया मोड़ मिला, जब अध्यक्ष उमंग अनिल गुप्ता के विरुद्ध दायर की गई जयप्रकाश अग्रवाल की दोनों याचिकाएं न्यायालय में खारिज हो गईं है। फैसले के बाद नगर में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। समर्थक इसे विकास कार्यों पर जनता की मुहर बता रहे हैं, जबकि विपक्ष के एक वर्ग का मानना है कि लगातार कानूनी लड़ाइयों से विकास का माहौल प्रभावित हुआ है।

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। नगर परिषद जैतहरी में अध्यक्ष पद को लेकर लंबे समय से जारी राजनीतिक खींचतान आखिरकार न्यायालय के फैसले के बाद नए मोड़ पर पहुंच गई है। अध्यक्ष उमंग अनिल गुप्ता के खिलाफ जयप्रकाश अग्रवाल द्वारा दायर दोनों याचिकाएं खारिज होने के बाद स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आरोप है कि अध्यक्ष पद पर लोकतांत्रिक मुकाबले में पराजय के बाद कानूनी रास्ते से राजनीतिक बढ़त हासिल करने की कोशिश की गई, लेकिन अदालत से अपेक्षित राहत नहीं मिल सकी। फैसले के बाद नगर में यह चर्चा भी तेज है कि लगातार विवादों और आरोप-प्रत्यारोपों ने विकास की गति को प्रभावित किया। दूसरी ओर अध्यक्ष समर्थकों का कहना है कि न्यायालय के निर्णय ने बेबुनियाद आरोपों की राजनीति पर विराम लगा दिया है और अब नगर के विकास कार्यों को बिना किसी व्यवधान के आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

चुनावी हार के बाद अदालत का सहारा, लेकिन नहीं मिली सफलता

नगर परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव में पराजय के बाद जयप्रकाश अग्रवाल ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अध्यक्ष के निर्वाचन और पद को लेकर आपत्तियां दर्ज कराते हुए याचिकाएं दायर कीं। हालांकि न्यायालय ने दोनों मामलों में राहत देने से इनकार कर दिया। फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि चुनावी हार की भरपाई अदालत के माध्यम से करने की रणनीति सफल नहीं हो सकी।

आरोपों की राजनीति पर उठे सवाल

स्थानीय नागरिकों के बीच यह चर्चा है कि लगातार आरोप और कानूनी विवादों के कारण नगर परिषद का माहौल लंबे समय तक राजनीतिक तनाव से घिरा रहा। आलोचकों का कहना है कि यदि यही ऊर्जा विकास कार्यों और जनहित के मुद्दों पर लगाई जाती तो नगर को अधिक लाभ मिलता। हालांकि इन आरोपों पर जयप्रकाश अग्रवाल की ओर से सार्वजनिक रूप से अलग पक्ष भी सामने आ सकता है।

न्यायालय के फैसले से समर्थकों में उत्साह

याचिकाएं खारिज होने के बाद अध्यक्ष उमंग अनिल गुप्ता के समर्थकों ने इसे न्याय की जीत बताते हुए खुशी जाहिर की। उनका कहना है कि अदालत के फैसले ने राजनीतिक अस्थिरता समाप्त कर दी है और अब नगर परिषद पूरी ऊर्जा के साथ विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेगी। समर्थकों का दावा है कि जनता ने पहले चुनाव में और अब अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक प्रक्रिया के बाद भी विकास की राजनीति पर भरोसा जताया है।

अब जनता की नजर विकास और जवाबदेही पर

राजनीतिक विवादों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि नगर परिषद आने वाले समय में विकास कार्यों को किस गति से आगे बढ़ाती है। स्थानीय नागरिकों का मानना है कि चुनाव और न्यायालयी प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है, इसलिए सभी जनप्रतिनिधियों को व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप छोड़कर नगरहित में कार्य करना चाहिए। जनता की अपेक्षा है कि राजनीतिक टकराव की जगह विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी जाए।

600 किलो गांजा तस्करी मामले में आरोपी की जमानत खारिज

अनूपपुर। लगभग 600 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा के परिवहन से जुड़े बहुचर्चित मामले में न्यायालय ने आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल ने आरोपी धनंजय सिंह पटेल की जमानत याचिका निरस्त कर दी। न्यायालय ने मामले की गंभीरता, जब्त मादक पदार्थ की अत्यधिक मात्रा तथा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित किया। जिला लोक अभियोजक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 25 दिसंबर 2025 को एसटीएफ भोपाल की जबलपुर इकाई को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक पुराना 12 पहिया टाटा ट्रक बिलासपुर से शहडोल की ओर जैतहरी मार्ग से आ रहा है, जिसमें भारी मात्रा में अवैध गांजा छिपाकर ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर एसटीएफ टीम ने बताए गए स्थान पर घेराबंदी कर ट्रक को रोका। तलाशी के दौरान ट्रक में चालक धनंजय सिंह पटेल तथा उसके साथ बैठे अंकित विश्वकर्मा मौजूद मिले। प्रारंभिक जांच में ट्रक सामान्य दिखाई दिया, लेकिन गहन तलाशी लेने पर चालक केबिन के पीछे लगभग तीन फीट की विशेष रूप से तैयार की गई गुप्त जगह मिली, जिसे लोहे की प्लेट लगाकर इस प्रकार पैक किया गया था कि सामान्य व्यक्ति उसके भीतर कुछ होने का अनुमान भी नहीं लगा सकता था। जब उस गुप्त हिस्से को खोला गया तो उसमें से 94 पैकेट अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ। जब्त गांजे का कुल वजन 599.795 किलोग्राम पाया गया। इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ की बरामदगी के बाद दोनों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध एसटीएफ भोपाल में अपराध क्रमांक 16/2025 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 में प्रकरण दर्ज किया गया। मामले में आरोपी धनंजय सिंह पटेल ने प्रथम अपर सत्र न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने जमानत का विरोध किया और न्यायालय के समक्ष यह तर्क रखा कि बरामद गांजे की मात्रा व्यावसायिक श्रेणी से कहीं अधिक है, अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का है तथा आरोपी को जमानत दिए जाने से जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। अभियोजन पक्ष की दलीलों एवं उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल ने 7 जुलाई को आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी। आरोपी धनंजय सिंह पटेल घटना के बाद से 25 दिसंबर 2025 से केंद्रीय जेल जबलपुर में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। इस आदेश को एनडीपीएस के गंभीर मामलों में अभियोजन पक्ष की महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में न्यायालय द्वारा अपनाई जा रही सख्त दृष्टि को भी यह फैसला रेखांकित करता है।

पहली बारिश में उखड़ी सड़क, गड्ढों से राहगीरों की बढ़ी परेशानी

अमरकंटक की सड़कें बनीं मुसीबत का सबब

एक साल बाद भी अधूरा पड़ा बस स्टैंड तिराहा कपिलधारा मार्ग चौड़ीकरण यात्री, विद्यार्थी और स्थानीय लोग परेशान.

हरिभूमि न्यूज अमरकंटक। मध्यप्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल अमरकंटक में सड़क निर्माण कार्य की धीमी गति और गुणवत्ता पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। अमरकंटक बस स्टैंड तिराहा से कपिलधारा मार्ग तक चल रहे सड़क चौड़ीकरण का कार्य पिछले एक वर्ष से अधूरा पड़ा है। पहली ही बारिश में सड़क की परत उखड़ गई और पूरी सड़क पर सैकड़ों गहरे गड्ढे बन गए हैं। इससे स्थानीय नागरिकों, विद्यार्थियों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद सड़क पर बने बड़े-बड़े गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी वास्तविक गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है। कई गड्ढों का आकार चार फीट से भी अधिक चौड़ा है, जबकि कुछ स्थानों पर उनकी गहराई लगभग एक फीट तक पहुंच गई है। ऐसे में दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह सड़क बेहद खतरनाक साबित हो रही है। अमरकंटक देशभर के श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहां प्रतिदिन हजारों लोग दर्शन एवं पर्यटन के लिए पहुंचते हैं। बस स्टैंड से कपिलधारा जाने वाला मार्ग सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल है, लेकिन निर्माण कार्य अधूरा होने के कारण यह सड़क अब लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण का कार्य लंबे समय से चल रहा है, लेकिन निर्माण की रफ्तार बेहद धीमी है। कई बार जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया, बावजूद इसके न तो निर्माण कार्य समय पर पूरा हुआ और न ही सड़क की गुणवत्ता पर ध्यान दिया गया। पहली ही बारिश में सड़क की परत उखड़ जाना निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगा रहा है।

सबसे अधिक परेशानी स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को हो रही है। रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले छात्र-छात्राओं को बारिश के दौरान गड्ढों और कीचड़ के बीच से होकर निकलना पड़ रहा है। फिसलन के कारण दुर्घटना का खतरा लगातार बना रहता है। व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सड़क की बदहाल स्थिति का असर क्षेत्र के पर्यटन और स्थानीय व्यवसाय पर भी पड़ रहा है। खराब सड़क के कारण पर्यटकों को असुविधा होती है, जिससे अमरकंटक की छवि भी प्रभावित हो रही है। बारिश के मौसम में हालात और अधिक गंभीर हो गए हैं। सड़क पर जलभराव के कारण यह समझना मुश्किल हो जाता है कि गड्ढा कितना गहरा है। ऐसे में कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यदि समय रहते सड़क की मरम्मत और निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। नगरवासियों ने प्रशासन, स्मार्ट सिटी परियोजना और संबंधित निर्माण एजेंसी से मांग की है कि सड़क के गड्ढों की तत्काल मरम्मत कराई जाए तथा अधूरे पड़े चौड़ीकरण कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

महिला डॉक्टरों से अभद्रता और शासकीय कार्य में बाधा डालने वाला आरोपी गिरफ्तार

कोतवाली पुलिस की कार्रवाई, न्यायालय ने भेजा जेल

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। शासकीय जिला चिकित्सालय में महिला चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के साथ अभद्रता, धमकी और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के बहुचर्चित मामले में कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी संतोष तिवारी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक विक्रांत मुराब के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगनाथ मरकाम एवं एसडीओपी नवीन तिवारी के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस ने बुधवार सुबह आरोपी संतोष तिवारी (46 वर्ष), निवासी कपिलधारा कॉलोनी, बरबसपुर, अनूपपुर को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार 18 जून 2026 को सुबह लगभग 10:45 बजे शासकीय जिला चिकित्सालय की महिला रोगी ओपीडी में महिला चिकित्सक डॉ. ज्योति पटेल मरीजों का उपचार कर रही थीं। उनके साथ डॉ. सोसन खेस एवं नर्सिंग ऑफिसर गरिमा मिश्रा भी अपनी ड्यूटी पर मौजूद थीं। उस समय महिला ओपीडी में करीब 10 से 12 महिला मरीज उपचार करा रही थीं। इसी दौरान संतोष तिवारी बिना अनुमति महिला ओपीडी में मोबाइल फोन से वीडियो बनाते हुए घुस आया। आरोप है कि वह तेज आवाज में हंगामा करते हुए महिला चिकित्सकों के बेहद करीब जाकर वीडियो बनाने लगा तथा वहां मौजूद महिला मरीजों की निजता भंग करने वाला वीडियो भी रिकॉर्ड करने लगा।

जब महिला चिकित्सकों ने उसे वीडियो बनाने से रोका तो वह अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए विवाद करने लगा। पुलिस के अनुसार करीब 30 से 45 मिनट तक उसके हंगामे के कारण महिला चिकित्सक मरीजों का उपचार नहीं कर सकीं और शासकीय कार्य प्रभावित हुआ। घटना के बाद शासकीय जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 365/26 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं तथा चिकित्सक एवं चिकित्सा सेवा से संबंधित व्यक्तियों की सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध पूर्व से भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। उसकी पत्नी की शिकायत पर घरेलू हिंसा, मारपीट, गाली-गलौज एवं प्रताड़ना का मामला दर्ज है। वहीं स्पान मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के एक सुपरवाइजर के साथ मारपीट, गाली-गलौज एवं धमकी देने के मामले में भी उसके खिलाफ अलग से अपराध पंजीबद्ध है। बुधवार सुबह कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शासकीय अस्पतालों में चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों के साथ अभद्रता, धमकी अथवा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

अतिरिक्त प्रभार मिलने के एक माह बाद भी अनूपपुर नहीं आये शशांक आर्मो

नगर पालिका में नहीं रखूंगा पैर जनता में बढ़ रहा आक्रोश

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर।

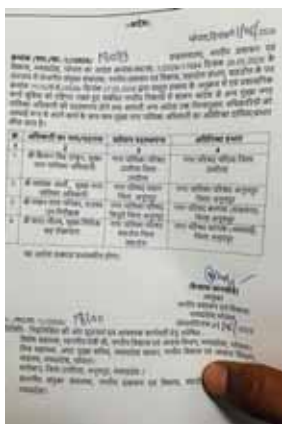

नगर पालिका परिषद अनूपपुर की प्रशासनिक व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत लगभग एक माह पूर्व नगर परिषद पसान के मुख्य नगर पालिका अधिकारी शशांक आर्मो को नगर पालिका परिषद अनूपपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, अनूपपुर नगर पालिका का प्रभार लेने के बाद भी वह भौतिक रूप से आज तक नगर पालिका अनूपपुर नहीं आए, अनूपपुर नगर पालिका की फाइले, पसान बुलाकर निपटाई जा रही है इससे नगर पालिका की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है और शहर की मूलभूत सुविधाओं की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। शहरवासियों का आरोप है कि प्रशासनिक नेतृत्व के अभाव में नगर पालिका की व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। सड़कें जगह-जगह खराब हो चुकी हैं, कई वार्डों में स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं, पेयजल आपूर्ति की समस्या बनी हुई है तथा बारिश के मौसम में जलभराव की स्थिति लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नगर पालिका में जिम्मेदार अधिकारी की अनुपस्थिति का सीधा असर विकास कार्यों पर पड़ रहा है। कई महत्वपूर्ण फाइलें लंबित हैं और जनसमस्याओं के निराकरण में लगातार देरी हो रही है। नगर पालिका के कर्मचारियों पर भी नियंत्रण और निगरानी का अभाव दिखाई दे रहा है, जिसके कारण कार्यालयीन कार्यों में शिथिलता बढ़ती जा रही है।

गौरतलब है कि नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में शशांक आर्मो को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ नगर पालिका परिषद अनूपपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया था, लेकिन एक माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद उनके अनूपपुर न आने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। शहर में चर्चा है कि अनूपपुर नगर पालिका में लंबे समय से चल रहे विवादों और प्रशासनिक खींचतान के कारण अधिकारी यहां आने से बच रहे हैं। लोगों के बीच यह चर्चा तेजी से फैल रही है कि आखिर अतिरिक्त प्रभार दिए जाने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी अनूपपुर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन की कार्यशैली को लेकर भी लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है। लोगों ने मांग की है कि या तो शशांक आर्मो तत्काल नगर पालिका अनूपपुर आये यहाँ के हालत देखे अथवा शासन किसी पूर्णकालिक मुख्य नगर पालिका अधिकारी की नियुक्ति करे ताकि शहर की बिगड़ती व्यवस्थाओं में सुधार हो सके। बारिश के मौसम में पेयजल, सड़क और जलनिकासी जैसी समस्याएं और गंभीर रूप धारण कर सकती हैं। ऐसे में नगर पालिका में प्रशासनिक शून्यता को लेकर नागरिकों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखना यह होगा कि शासन और जिला प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और अनूपपुर की जनता को कब तक बेहतर नगर प्रशासन मिल पाता है।

मानसिक रूप से भटकी युवती को सामाजिक कार्यकर्ता ने मिलाया परिवार से

जिला अस्पताल से परिजनों के साथ सकुशल घर लौटी युवती

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। मानवता और सामाजिक संवेदनशीलता का एक प्रेरणादायक उदाहरण सामने आया है। मानसिक रूप से अस्वस्थ होकर भटकते-भटकते अनूपपुर पहुंची एक 20 वर्षीय युवती को सामाजिक कार्यकर्ता शशिधर अग्रवाल के प्रयासों से उसके परिवार से मिलाया गया। कई दिनों की खोजबीन, सोशल मीडिया और व्यक्तिगत संपर्कों के बाद युवती की पहचान हो सकी, जिसके बाद परिजन जिला चिकित्सालय अनूपपुर पहुंचे और उसे अपने साथ सकुशल घर ले गए। जानकारी के अनुसार, चार-पांच दिन पूर्व देर रात आम नागरिकों की सूचना पर 108 एंबुलेंस के माध्यम से एक अज्ञात युवती को जिला चिकित्सालय अनूपपुर लाया गया था। युवती मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के साथ ही शारीरिक रूप से भी बेहद कमजोर थी। वह अपनी पहचान या घर का पता बताने की स्थिति में नहीं थी। जिला चिकित्सालय में उसका उपचार शुरू किया गया। इस बीच पुलिस सहायता केंद्र अनूपपुर के प्रधान आरक्षक कमलेश प्रसाद, आरक्षक आशीष तिवारी तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों एवं स्टाफ ने सामाजिक कार्यकर्ता शशिधर अग्रवाल से युवती की पहचान कराने में सहयोग का आग्रह किया। इसके बाद श्री अग्रवाल ने युवती की जानकारी विभिन्न व्हाट्सएप समूहों, सामाजिक संगठनों और व्यक्तिगत संपर्कों के माध्यम से साझा कर उसकी पहचान कराने का अभियान शुरू किया। लगातार प्रयासों का परिणाम यह रहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न व्हाट्सएप समूहों, जिनमें गजराज दल, हाथी समूह एवं पंचायत समूह भी शामिल थे, के माध्यम से युवती की जानकारी उसके परिजनों तक पहुंच गई। सूचना मिलते ही परिजनों ने शशिधर अग्रवाल से संपर्क किया और मंगलवार दोपहर जिला चिकित्सालय अनूपपुर पहुंचे। पहचान के दौरान युवती का नाम धनपतिया सिंह (20 वर्ष) पिता स्वर्गीय बसंत सिंह, माता स्वर्गीय शांतिबाई सिंह, निवासी ग्राम डोंगरापारा, ग्राम पंचायत आमाडांड, तहसील एवं थाना पेंड्रा, जिला जीपीएम (छत्तीसगढ़) होना पाया गया। परिजनों ने बताया कि युवती मानसिक रूप से बीमार है तथा परिवार के सदस्य मजदूरी के लिए बाहर रहते हैं। इसी दौरान वह घर से निकलकर भटकते हुए अनूपपुर पहुंच गई थी। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद युवती को उसके बड़े भाई जलेश कुमार सिंह, फूफा रामजी सिंह तथा परिजन एवं पड़ोसी भाव सिंह पेंदाम और सूरजभान सिंह पेंदाम के सुपुर्द किया गया। परिजन उसे अपने गृह ग्राम लेकर रवाना हो गए। इस पूरे घटनाक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता शशिधर अग्रवाल, पुलिस सहायता केंद्र अनूपपुर, 108 एंबुलेंस सेवा तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की संवेदनशील भूमिका की सराहना की जा रही है। समय पर किए गए सामूहिक प्रयासों से एक भटकी हुई मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती अपने परिवार तक सकुशल पहुंच सकी।